रेल दावा अधिकरण, इलाहाबाद न्यायपीठ

वाद संख्या– OA/IIu/ALD/187/2022

पीठासीनः

श्री संजीव अग्रवाल, माननीय सदस्य (न्यायिक)/इलाहाबाद न्यायपीठ

संस्थन की तिथिः 31.10.2022
निर्णय की तिथिः 02.08.2024

1. श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व. श्री विजयचंद्र उम्र 27 वर्ष
2. सौर्य विजयचंद्र केशरवानी उर्फ सौर्य विजयचंद्र केशरवाणी पुत्र स्व. श्री विजयचंद्र उम्र 7 वर्ष
3. सूर्यान्श केशरवानी पुत्र स्व. श्री विजयचंद्र उम्र 3 वर्ष
4. वसु केशरवानी उर्फ वासु विजयचंद्र केसरवानी पुत्र स्व. श्री विजयचंद्र उम्र 2 वर्ष
(2 ता 4 नाबालिग जरिये प्राकृतिक मॉ श्रीमती सुनीता देवी)
5. श्रीमती श्यामकली पत्नी स्व. श्री बद्री उम्र 75 वर्ष

सभी निवासी– ग्राम– भरतगढ़, थाना– संग्रामगढ़, जिला– प्रतापगढ़ (उ0प्र0)।

.....याचीगण

बनाम

भारत संघ,
द्वारा महाप्रबंधक, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर

.....उत्तरदाता

दावा राशिः रू. 8,00,000/– मय ब्याज

उपस्थितिः
याची की ओर से– श्री अशोक श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

उत्तरदाता की ओर से– श्री अरविन्द सिंह, अधिवक्ता।

निर्णय

श्री संजीव अग्रवाल, माननीय सदस्य (न्यायिक):

1. याची सुनीता देवी व अन्य ने यह याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–16 के अन्तर्गत दिनांक 13.08.2022 को विजयचंद्र (मृतक) की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप, उन पर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ, द्वारा महाप्रबंधक, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर के विरूद्ध क्षतिपूर्ति की याचना के साथ प्रस्तुत की है। याचीगण के अभिकथन के अनुसार, दिनांक 13.08.2022 को मृतक प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन से लोकमान्य तिलक टर्मिनल रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के दौरान ट्रेन सं. 12142 पाटिलपुत्र–लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से मैहर–भदनपुर अप सेक्शन के किमी. सं. 1132/19 – 1132/21 के मध्य चलती ट्रेन से गिर गया और उनकी मृत्यु हो गयी। उनका प्रयागराज छिवकी से लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक का आरक्षित श्रेणी रेल यात्रा टिकट जिसका पी.एन.आर. नम्बर '6106655656' दिनाँक 13.08.2022 के लिए, मृतक के पास से बरामद हुआ है तथा दावा पत्र के साथ संलग्न किया गया है। याची पक्ष की ओर से यह भी कहा गया है कि मृतक के साथ सहयात्री के रूप में सोनू केशरवानी यात्रा कर रहे थे।

2. उत्तरदाता की ओर से लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए, याची के उपरोक्त अभिकथन से पूर्णतः इन्कार किया गया है और याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया है कि मृतक न तो प्रश्नगत रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा था और न ही मृतक प्रश्नगत ट्रेन से गिरा। तद्नुसार, दावा याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

वाद–बिन्दु

3. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए दिनाँक 27.04.2023 को वाद बिन्दु बनाये गये। दिनाँक 27.04.2023 के आदेश पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उत्तरदाता रेलवे ने मृतक के सद्भावी यात्री होने के सम्बन्ध में स्पष्टतः यह स्वीकार किया है कि मृतक रेल का एक सद्भावी यात्री था। इसके पश्चात् निम्नलिखित तीन वाद बिन्दुओं बनाये गये :–

    1. *Whether the death of the deceased was on account of an untoward incident as defined under Section 123(c) read with Section 124A of The Railways Act, 1989?*
    2. *Whether the applicants are the sole dependant of the deceased and are covered by the definition of dependant under Section 123(b) of The Railways Act, 1989?*
    3. *To what amount of compensation and relief, if any, are the applicants entitled?*

5. याचीगण द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में याचिनी संख्या 1 सुनीता देवी का शपथ पत्र एडब्ल्यू–1 के रूप में तथा श्री सोनू केशरवानी का शपथ पत्र एडब्ल्यू–2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दोनों का प्रतिपरीक्षण उत्तरदाता अधिवक्ता द्वारा दिनांक 01.06.2023 को किया गया। प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में याचीगण की ओर से स्टेशन मास्टर मेमो प्रदर्श ए–2, मृत्यु का पंजीकरण प्रदर्श ए–3, पंचायतनामा प्रदर्श ए–4, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श ए–5, अपराध विवरण फॉर्म प्रदर्श ए–6, संपत्ति जपती पत्रक प्रदर्श ए–7, रेल टिकट प्रति प्रदर्श ए–8, पहचान पंचनामा प्रदर्श ए–9, मृतक के परिवार का कथन प्रदर्श ए–10, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श ए–11 व आधार कार्ड एडब्ल्यू–2 प्रदर्श ए–12 की प्रमाणित छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की गयी हैं।

6. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में वैधानिक विवेचना आख्या प्रस्तुत की गयी है।

7. याचीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक श्रीवास्तव (हाइब्रिड मोड में उपस्थित) व उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द सिंह द्वारा की गयी बहस को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

विनिश्चय

वाद–बिन्दु संख्या– 1

8. इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। याचीगण के द्वारा दावे के साथ उप–स्टेशन प्रबन्धक मेमो (प्रदर्श ए–2) सत्यापित प्रति संलग्न है जिसमें अंकित है कि *PWI मैहर द्वारा मोबाइल से सूचित किया गया है कि MYR-BUU UP/RD KM- 1132/19 – 1132/21 पर Dead Body पड़ी है। अतः अग्रेतर कार्यवाही करें।* पत्रावली पर उपलब्ध नक्सा पंचायतनामा (प्रदर्श ए–4) के अनुसार *मृतक अज्ञात की मृत्यु ट्रेन में सफर करते समय ट्रेन से गिर जाने के कारण ट्रेन से कट जाने से मृत्यु होना पाया जाता है।* पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श ए–5) में मृत्यु का कारण *"multiple antemortem injuries in body through which body got cut in several pieces which is caused by hard heavy & movable object which lead to hemorrhagic shock & cardiorespiratory failure."* बताया गया है। इन प्रलेखीय साक्ष्यों के आधार पर मैं इस सुविचारित मत पर पहुँचा हूँ कि मृतक की मृत्यु चलती ट्रेन से गिरने के फलस्वरूप आयी चोटों के कारण हुयी।

9. दूसरी तरफ उत्तरदाता की ओर से प्रस्तुत वैधानिक विवेचना आख्या में यह स्पष्टतः स्वीकार किया है कि सम्पत्ति जब्ती पत्रक में दर्शाए पीएनआर नम्बर 6106655656 का सत्यापन कराया गया है जो *दिव्यांग रियायती टिकट का जारी होना पाया गया है।* अर्थात् उत्तरदाता रेलवे द्वारा यह स्पष्टतः स्वीकार किया है कि मृतक रेल का एक सद्भावी यात्री था। वैधानिक विवेचना आख्या में जाँच के दौरान प्राप्त दस्तावेजों के हवाले से यह कहा गया है कि *"यदि विजय चंद्र सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करता तो उक्त घटना घटित नहीं होती।"* प्रश्नगत प्रकरण में उत्तरदाता का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक की मृत्यु किसी स्वकारित चोट या किसी आपराधिक लापरवाही के कारण हुई है

और न ही इस प्रकरण में उत्तरदाता की ओर से किसी चालक अथवा गार्ड की ओर से एवं अन्य कोई ऐसा साक्ष्य, जो मृतक के किसी ट्रेन के सामने आकर कट जाने का संकेत करता हो, प्रस्तुत किया गया है।

10. उत्तरदाता रेलवे ने अपने कथन में कहा है कि मृतक की मृत्यु उसकी स्वयं की लापरवाही के कारण हुई है जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार है। प्रतिवादी रेलवे द्वारा लापरवाही के सम्बन्ध में यह कथन, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124(ए) के अन्तर्गत प्रतिवादी रेलवे पर "strict or no-fault liability" के मद्देनजर तथा साथ ही भारत संघ बनाम रीना देवी ***[2018 SCC Online SC 507]*** मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से दिये गये विधिक सिद्धान्त के आलोक में, स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु प्रश्नगत ट्रेन से दुर्घटनावश गिरने के कारण हुई है तथा यह दुर्घटना एक अनपेक्षित घटना के अन्तर्गत आती है।

11. अतः उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में इस वाद के तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यों के प्राबल्य के आधार पर एवं पत्रावली पर मौजूद सभी दस्तावेजों एवं विधिक सिद्धान्तों का सम्यक् अवलोकन व परिशीलन करने के उपरान्त यह विनिश्चित किया जाता है कि मृतक सद्भावी यात्री होकर ट्रेन से यात्रा कर रहा था तथा मृतक की मृत्यु रेलगाड़ी से गिर जाने के परिणामस्वरूप आयी चोटों के कारण हुयी है, जो कि रेल अधिनियम, 1989 की धारा– 123 (सी) (2), सपठित धारा 124–ए के अन्तर्गत परिभाषित 'अनपेक्षित रेल दुर्घटना' की परिधि में आती है। अतः वाद बिन्दु संख्या 1 तद्नुसार, याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

<u>वाद बिन्दु संख्या– 2</u>

12. विचारणीय बिन्दु यह है कि मृतक के आश्रित कौन हैं? इस सम्बन्ध में एडब्ल्यू–1 सुनीता देवी ने अपने शपथ पत्र (पृष्ठ सं. 18/4) के प्रस्तर–6 में यह अभिकथन किया है कि याचीगण ही मृतक के आश्रित की परिधि में आते हैं और प्रतिकर पाने के अधिकारी हैं। याची पक्ष द्वारा दिनाँक 03.08.2023 को प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दिनाँक 11.03.2024 की आदेश पत्रिका के अनुसार याची पक्ष का संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए यह कहा गया है कि वाद पत्र के याची क्रमांक 5 श्री बद्री की मृत्यु दिनाँक 06.04.2023 को हो चुकी है तथा उनका नाम वाद पत्रावली से हटाया जाता है। याचीगण द्वारा अन्य याचियों के आश्रितता के सम्बन्ध में याची क्रमांक 1, 2 व 5 के आधार कार्ड की प्रतियाँ व परिवार रजिस्टर व याची क्रमांक 3 व 4 का जन्म प्रमाण पत्र प्रति प्रस्तुत की गयी है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में कोई खण्डित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आश्रितता के सम्बन्ध में याचीगण का कथन पूर्णतः सिद्ध होता है। अतः याचीगण ही रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा– 123 (बी) में निहित प्रावधानों के

प्रकाश में मृतक के 'आश्रित' की परिधि में आते हैं और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस प्रकार वाद बिन्दु सं. 2 भी याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या– 3

13. वाद बिन्दु संख्या– 1 और 2 याचीगण के पक्ष में निर्णीत किये जा चुके हैं। अतः रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा–124 (ए) के अन्तर्गत याचीगण मृतक की ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उक्त घटना दिनांक 13.08.2022 को घटित हुयी थी अर्थात् दिनांक 01.01.2017 के बाद की घटना है। अतः रेल दुर्घटना एवं अनपेक्षित घटना नियमावली, 1990, जिसे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र संख्या 877, दिनांक 22.12.2016 द्वारा संशोधित करते हुए दिनांक 01.01.2017 से प्रभावित किया गया है, में दी गयी व्यवस्था के अनुसार, याचीगण क्षतिपूर्ति के रूप में रू. 8,00,000/– (रूपये आठ लाख मात्र) एवं उस पर 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज, दुर्घटना की तिथि से निर्णय की तिथि तक, प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

14. याचीगण की याचिका स्वीकार की जाती है। उत्तरदाता को निर्देशित किया जाता है कि वह कुल रू. 8,00,000/– (रूपये आठ लाख मात्र) एवं उस पर 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज, दुर्घटना की तिथि से निर्णय की तिथि तक, क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करेंगे।

15. जहॉ तक एवार्ड राशि मय ब्याज को याचीगण में वितरण का सवाल है, इस सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा प्रकरण गीता देवी बनाम भारत संघ मामले में लिये गये ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए एवार्ड राशि मय ब्याज का भुगतान निम्न प्रकार से किया जायेगा–

क्रम सं0	लाभार्थी का नाम	मृतक से सम्बन्ध	एवार्ड की गयी राशि	पार्टी के खाते में भुगतान की जाने वाली राशि	राशि, जो सावधि जमा (F.D.) के रूप में देय है
1.	सुनीता देवी	पत्नी	4,00,000/–	40,000/–	3,60,000/– (तीन वर्षों के लिए)
2.	सौर्य विजयचंद्र केशरवानी उर्फ सौर्य विजयचंद्र केशरवाणी	पुत्र (अवयस्क)	1,00,000/–	–	1,00,000/– (वयस्क होने तक)
3.	सूर्यान्श केशरवानी	पुत्र (अवयस्क)	1,00,000/–	–	1,00,000/– (वयस्क होने तक)

4.	वसु केशरवानी उर्फ वासु विजयचंद्र केशरवानी	पुत्र (अवयस्क)	1,00,000/–	–	1,00,000/– (वयस्क होने तक)
5.	श्रीमती श्यामकली	माता	1,00,000/–	10,000/–	90,000/– (तीन वर्षों के लिए)

तथा रूपये आठ लाख पर मिलने वाली ब्याज राशि के भुगतान का विवरण निम्नवत् है–

क. याची क्रमांक 1 को भुगतान की जाने वाली राशि रू. 4,00,000/– (रूपये चार लाख मात्र) मय ब्याज में से 10 प्रतिशत की राशि रू. 40,000/– (रूपये चालीस हजार मात्र) एवं मय आनुपातिक ब्याज हिस्सेदारी राशि उसके एकल बचत खाते में ई.सी.एस. के माध्यम से भुगतान की जायेगी तथा शेष धनराशि रू. 3,60,000/– (रूपये तीन लाख साठ हजार मात्र) मय आनुपातिक ब्याज हिस्सेदारी राशि 03 वर्ष की सावधि जमा (F.D.) के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी, जिसका ब्याज याची क्रमांक 1 अपने एकल बचत बैंक खाते में प्राप्त करेंगी।

ख. याची क्रमांक 2, 3 व 4 क्रमशः एक–एक लाख रूपये की एवार्ड राशि मय आनुपातिक ब्याज हिस्सेदारी राशि प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। चूंकि याची क्रमांक 2, 3 व 4 अवयस्क हैं, अतः इन्हें एवार्ड की गयी धनराशि सावधि जमा (F.D.) के रूप में उनके वयस्क होने के समय तक, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी, जिसका आनुपातिक ब्याज याची क्रमांक 1 सुनीता देवी, जो कि इनकी प्राकृतिक संरक्षक एवं माता हैं, अपने एकल बचत बैंक खाते में प्राप्त करती रहेंगी। याची क्रमांक 2, 3 एवं 4 के वयस्क होने पर उनके हिस्से की कुल प्रतिकर राशि, मय आनुपातिक ब्याज हिस्सेदारी, का भुगतान उन्हें नियमानुसार किया जाए। इस सम्बन्ध में इस अधिकरण द्वारा अलग से आदेश दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

ग. याची क्रमांक 5 को भुगतान की जाने वाली राशि रू. 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) में से 10 प्रतिशत की राशि रू. 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) एवं मय आनुपातिक ब्याज हिस्सेदारी राशि उनके एकल बचत खाते में ई.सी.एस. के माध्यम से भुगतान की जायेगी तथा शेष धनराशि रू. 90,000/– (रूपये नब्बे हजार मात्र) मय आनुपातिक ब्याज हिस्सेदारी राशि 03 वर्ष की सावधि जमा (F.D.) के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी, जिसका ब्याज याची क्रमांक 5 अपने एकल बचत बैंक खाते में प्राप्त करेंगी।

16. मूल नियत निक्षेप, बैंक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे तथापि, एफडीआर संख्या, एफडीआर रकम, परिपक्वता की तारीख और परिपक्वता की रकम अंतर्विष्ट करने वाला विवरण बैंक द्वारा दावाकर्ता को प्रस्तुत किया जाएगा।

17. याचीगण को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने निवास स्थान के निकट स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से जुड़े अपने एकल बचत बैंक खाते का विवरण इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक को, उत्तरदाता द्वारा एवार्ड राशि का भुगतान इस न्यायाधिकरण के सूटर्स बैंक खाते में किये जाने के बाद से, एक माह के अंदर उपलब्ध करायें। बैंक उनके बचत बैंक खाते या सावधि जमा खाते में किसी भी संयुक्त नाम को जोड़ने की अनुमति नहीं देगा अर्थात् उनका बचत खाता एकल बचत खाता होगा, संयुक्त खाता नहीं होगा।

18. सावधि जमा (F.D.) की परिपक्वता राशि याचीगण को उनके सम्बंधित बचत बैंक खाते में इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम (ECS) द्वारा जमा की जायेगी।

19. बैंक, याचीगण की पासबुक पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि कोई भी चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। सभी याची विधिवत आवश्यक पृष्ठांकन के साथ बैंक मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी पासबुक इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह याचीगण को केवल निकासी फार्म के माध्यम से अपने बचत खाते से पैसा निकालने की अनुमति देगा।

20. प्रतिवादी रेलवे को निदेशित किया जाता है कि निर्णीत प्रतिकर की एवार्ड धनराशि, निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक के सूटर्स बैंक खाता में जमा करेगा। यदि प्रतिवादी रेलवे 60 दिन के भीतर प्रतिकर धनराशि नहीं जमा करता है, तो निर्णय की तिथि से प्रतिकर जमा करने की तिथि तक, 9 प्रतिशत मय साधारण ब्याज प्रतिकर धनराशि गणना सीट के साथ इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक के पास जमा करायें। इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक एवार्ड की धनराशि का, याचीगण द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात्, 90 दिनों के भीतर भुगतान करें।

21. निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को बिना किसी मूल्य के उपलब्ध करायी जाए और याचीगण को निर्णय की प्रति उसके निवास स्थान पर स्पीड पोस्ट से भेजा जाए। तद्नुसार, समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त फाइल को दाखिल–दफ्तर किया जाए।

22. पत्रावली दिनांक 11.11.2024 को उक्त आदेश के अनुपालन सम्बन्धी जांच हेतु नियत की जाती है।

(संजीव अग्रवाल)
सदस्य (न्यायिक)

निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

(संजीव अग्रवाल)
सदस्य (न्यायिक)